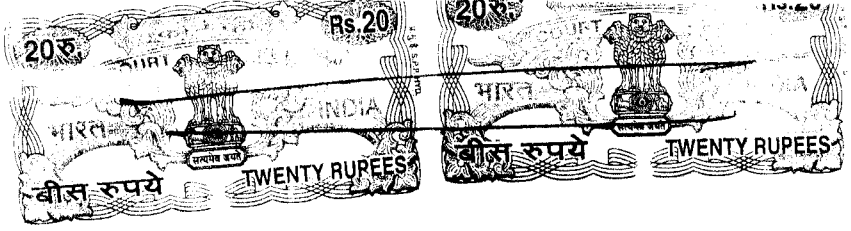

न्यायालय:- राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

(समक्ष केम्प कोर्ट इन्दौर)

अपील क्रमांक :- R 2287 PBR/14 प्रस्तुत दिनांक :- 15/7/2014

तारांचद पिता गुलाबचंद जाति बलाई
निवासी ग्राम शिवना तहसील झिरन्या जिला खरगोन म.प्र. -- आवेदक

-: वि रु द्ध :-

दीपक पिता लखनलाल जाति चमार
निवासी दुलहारफटा तहसील पंधाना जिला खण्डवा म.प्र. -- अनावेदक

-: पुनरिक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत् :-

आवेदक की ओर से निवेदन है कि :-

यह कि सदर पुनरिक्षण याचिका अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, झिरन्या के राजस्व प्रकरण क्रमांक 1A70/2013-14 में दिनांक 04-07-2014 को पारित आदेश, जिसके द्वारा अनावेदक का अंतरिम आवेदन धारा 32 का अस्वीकार कर निरस्त किया है जिससे व्यथित होकर यह पुनरिक्षण याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

01-12-2015/दीपक

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश–ग्वालियर ताराचंद / दीपक

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 – पीबीआर / 2014 जिला खरगोन

आदेश क्रमांक दिनांक कार्यवाही तथा आदेश पक्षकारों / अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

17–7–2014 आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 4–7–2014 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदक द्वारा म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 32 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसका वर्षों पुराना कब्जा है इसलिये संहिता की धारा 250 आकर्षित नहीं होती है। अतः प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाय। इस संबंध में तहसीलदार द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक के स्वामित्व की भूमि है और उसे कब्जा वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है। जब तक प्रकरण में संपूर्ण साक्ष्य नहीं हो जाती है, तब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता है। उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

(एम0के0 सिंह)
अध्यक्ष